भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1180

(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

आईईपीएफ और सी-पेस

1180. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्र सिंह बारैया:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री दामोदर अग्रवाल:
सुश्री कंगना रनौतः
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री खगेन मुर्मु:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में फॉर्म आईईपीएफ-1ए दाखिल नहीं करने के कारण उत्पन्न और लंबित मामलों के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और लगाई गई शास्तियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) आईईपीएफ-1ए फॉर्म से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे से दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के निवेशकों को क्या लाभ हुए हैं;
(ग) क्या सरकार ने विशेषकर गुजरात के दाहोद में त्वरित कारपोरेट निकासी प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) के कार्य निष्पादनका मूल्यांकन किया है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा एमजीटी-7 जैसे फॉर्म के लिए पंजीकृत कार्यालय की जियो-टैग की गई तस्वीरें प्रस्तुत करना अनिवार्य करने के क्या कारण हैं और इससे विशेषकर गुजरात के दाहोद में पारदर्शिता कैसे बढ़ी है;
(च) फेसलेस न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के संबंध में सरकार की कार्य योजना क्या है;
(छ) सरकार द्वारा ऑनलाइन कारपोरेट चूक सम्बंधी मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्याप्रावधान किए गए हैं,
(ज) आईईपीएफ-1ए फॉर्म से संबंधित लंबित मामलों के निपटान से दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के निवेशकों को क्या लाभ हुए हैं; और
(झ) देश में, विशेषकर गुजरात के दाहोद में, ऑनलाइन चूक सम्बंधी मामलों में फेसलेस न्यायनिर्णयन प्रणाली किस प्रकार पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरिक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 5(4क) के अनुसार, कंपनियों को संशोधित नियमों की अधिसूचना (20/8/2019) के साठ दिनों के भीतर एक्सेल टेम्पलेट के साथ प्ररूप संख्या आईईपीएफ-1क फाइल करना आवश्यक है। कंपनियों द्वारा

निर्धारित प्रारूप में प्ररूप आईईपीएफए-1क फाइल नहीं करने के कारण उत्पन्न मामलों के समाधान के लिए, विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने 31.07.2025 को सभी चूककर्ता कंपनियों को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है, जिसमें निर्धारित प्रारूप में प्ररूप आईईपीएफए-1क जमा करना सुनिश्चित करने के लिए 30 अगस्त 2025 तक अनुपालन अवधि दी गई है। कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

(ख) और (ज): आईईपीएफ-1क प्ररूप कंपनी-वार फाइल किए जाते हैं। इसलिए, ऐसे मामलों के निपटारे से देश भर में संबंधित कंपनियों के निवेशकों को लाभ होता है, जिसमें दाहोद के निवेशक भी शामिल हैं।

(ग) और (घ): मंत्रालय ने कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से अपना नाम हटाने की प्रक्रिया को सुगम और त्वरित बनाने के लिए त्वरित कारपोरेट निकासी प्रक्रिया केंद्र (सी-पेस) की स्थापना की है और यह 01.05.2023 से परिचालित हो गया है। सी-पेस द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 22051 आवेदन स्वीकृत किए गए। कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), सी-पेस द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दाहोद, गुजरात से एक कंपनी को बाहर कर दिया गया।

(ङ): कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2025 दिनांक 30.05.2025 के अनुसार, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की नवीनतम तस्वीर, जिसमें बाहरी भवन दिखाई देने के साथ, नाम और पता स्पष्ट रूप से दिखाई दे, संलग्न करना अनिवार्य है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(3)(क) और धारा 92(1)(क) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत पंजीकृत कार्यालय का विवरण, अर्थात ऐसे कार्यालय का सटीक स्थान, बताना आवश्यक है। पंजीकृत कार्यालय की जियो-टैगिंग यह सुनिश्चित करेगी कि इन प्ररूपों में पंजीकृत कार्यालय का सटीक स्थान दर्शाया गया हो। ये कदम दाहोद, गुजरात सहित देश भर की कंपनियों की पारदर्शिता और अनुरेखणीयता को बढ़ाते हैं।

(च) और (छ): कंपनी (शास्तियों का अधिनिर्णयन) नियम, 2014 को अगस्त, 2024 में संशोधित किया गया है, जिसके अनुसरण में यह प्रावधान किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 454 के अंतर्गत अधिनिर्णय की कार्यवाही केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए विकसित ई-अधिनिर्णयन प्लेटप्ररूप के माध्यम से होगी। एमसीए21 के भाग के रूप में ई-अधिनिर्णयन या फेसलेस अधिनिर्णयन मॉड्यूल 16-09-2024 से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी कार्यवाहियों का अधिनिर्णयन तीव्र, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रणाली से हो।

(झ): फेसलेस या ई-अधिनिर्णयन प्रणाली, ऑनलाइन नोटिस तैयार करने, सुनवाई करने, अधनिर्णयन आदेश तैयार करने और भुगतान सहित संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया प्रदान करती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और साथ ही त्वरित अधिनिर्णयन में भी मदद मिलती है। ये लाभ दाहोद में रहने वाले सभी संबंधित हितधारकों पर लागू होते हैं।

*****